

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- 13/06/2025

विषय:- दरभंगा जिलांतर्गत बहादुरपुर अंचल के मौजा-बलिया, थाना संख्या-120/02 में एकमी-शोभन बाईपास पर प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दरभंगा (AIIMS, दरभंगा) के परिसर में स्थित 400 के०वी० संचरण टावर को अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना मद से रू० 12,60,00,000/- (रुपये बारह करोड़ साठ लाख) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध में कहना है कि दरभंगा जिलान्तर्गत बहादुरपुर अंचल के मौजा-बलिया, थाना संख्या-120/02 में एकमी-शोभन बाईपास पर प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दरभंगा (AIIMS, दरभंगा) के निर्माण हेतु चिन्हित भू-खण्ड पर अवस्थित 33 KV HT Line एवं विद्युत टावर को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना से प्राप्त रू० 11.67 करोड़ का प्राक्कलन एवं तत्पश्चात् सशोधित स्वरूप में इसे पुनरीक्षित कर कुल प्राक्कलित राशि रू० 12.60 करोड़ का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। इसमें यह बढ़ोतरी 2.5% Supervision charge on project cost के कारण की गयी है।

उक्त टावर 400 के०वी० दरभंगा (DMTCL) सीतामढी (PGCIL) संचरण लाईन का हिस्सा है एवं उक्त संचरण लाईन का स्वामित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) के पास है।

2- तदक्रम में दरभंगा जिलांतर्गत बहादुरपुर अंचल के मौजा-बलिया, थाना संख्या-120/02 में एकमी-शोभन बाईपास पर प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दरभंगा (AIIMS, दरभंगा) के परिसर में स्थित 400 के०वी० संचरण टावर को अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना मद से रू० 12,60,00,000/- (रुपये बारह करोड़ साठ लाख) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- इस राशि का वहन राज्य योजना अन्तर्गत मॉग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूजीगत परित्यय, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष- 0111-मैडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड-20-4210011100111 अन्तर्गत विषय शीर्ष 0111-53-01-मुख्य निर्माण कार्य ईकाई मद में उपबधित राशि से किया जाएगा।

4- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होंगे।

5- अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को खाता अंतरण के माध्यम से बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना के पी०एल० एकाउन्ट स०----- विपत्र कोड----- के अन्तर्गत ledger ID----- में उपलब्ध करायेंगे। एजेन्सी राशि का खर्च विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

6- बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना के पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को ससमय प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

7- राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि०(2), दिनांक-17.04.98, 8543 वि०(2), दिनांक-27.11.2007, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

9- प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनांक-29.05.2025 की बैठक की कार्यवाही के ज्ञापाक-55(7), दिनांक-29.05.2025 में स्वीकृति प्राप्त है।

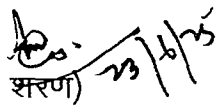
10- प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या-7/बजट-46-03/2025 के पृष्ठ-06 /टि० में प्राप्त है।

12- यह मात्र स्वीकृत्यादेश है।

13- संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शंभु शर्मा)

सरकार के अपर सचिव

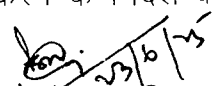
ज्ञापाक - 10 R (7)

/स्वा०, पटना, दिनांक-23/06/2025

प्रतिलिपि—योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना/सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्यय पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—प्रमडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमडल, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा/अधीक्षक, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7/लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई-मेल करने के निर्देश के साथ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव
A. Sharma